

प्रेषक,

जय देव सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव/आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015

विषय— वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग हेतु (प्रथम अनुपूरक द्वारा) स्वीकृत धनराशि में से निम्नानुसार रू0 4375 (रू0 तेतालीस लाख पिच्चत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार रू0 में)

क्र0सं	योजना/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	01 वेतन	1175
2	03 महगाई भत्ता	465
3	04 यात्रा व्यय	250
4	06 अन्य भत्ते	365
5	07 मानदेय	15
6	08 कार्यालय व्यय	330
7	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100
8	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150
9	13 टेलीफोन पर व्यय	50
10	15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1015
11	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200
12	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	15
13	22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	100
14	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
15	42 अन्य व्यय	10
16	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10
	योग:-	4375

(रू0 तेतालीस लाख पिच्चत्तर हजार मात्र)

